बल कार्मिकों के लिए सुविधाएं/सुख साधन

केऔसुब द्वारा बल कार्मिकों के लिए विभिन्न सुविधाएं/सुख साधनों का विस्तार किया जा रहा है। ये निम्नलिखित हैं :–

1. **ई–शिकायत**

कार्मिकों की शिकायतों के शीघ्र एवं व्यवस्थित निवारण के लिए एक ऑनलाईन व्यवस्था का विकास किया गया है। जैसा कि इस प्रणाली में परिकल्पित है, पर्यवेक्षक अधिकारियों के प्रत्येक स्तर पर शिकायतों से व्यक्तिगत संतुष्टि के साथ–साथ एवं बल का निराकरण लाभ होगा, जिससे ड्यूटी के निष्पादन की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। ई–शिकायत पर डाली गई शिकायतों की केऔसुब मुख्यालय के 'कल्याण निदेशालय' द्वारा केन्द्रीयकृत मानीटरिंग की जाएगी और उप महानिरीक्षक (कल्याण) नोडल अधिकारी होंगे। (सन्दर्भ :पत्र संख्या ई–41022/ई–शिकायत/कल्याण/16/805 दिनांक 16.08.2016)

2. **अनुग्रह राशि (ex-gratia) (गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त)**

(क) विभिन्न परिस्थितियों में अपनी वास्तविक अधिकारित ड्यूटी देते हुए मारे गए केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के परिवारों हेतु अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजा उपलब्ध है । अनुग्रह राशि दिनांक 01.01.2016 से निम्नानुसार है :–

i)	ड्यूटी देने के समय में दुर्घटना के कारण हुई मौत	25 लाख
ii)	आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों इत्यादि द्वारा हिंसक घटनाओं के दौरान ड्यूटी देते हुई मौत	25 लाख

iii)	सीमा पर झड़पो तथा आतंकवादियों, उग्रवादियों, अतिवादियों, समुंद्री लुटेरों के विरूद्ध कार्रवाई में हुई मौत	35 लाख
iv)	प्राकृतिक आपदाओं, अत्यधिक मौसम स्थितियों के कारण विशिष्ट ऊंचाइयों, अगम्य सीमा पोस्टों इत्यादि में ड्यूटी देते हुए मौत	35 लाख
v)	युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई अथवा कुछ युद्ध जैसे रक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित कार्यो के दौरान हुई मौत और विदेश में युद्ध क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के कारण हुई मौत	45 लाख

(ख) विकलांगता के कारण अथवा सेवा बढ़ने के कारण सेवा से निकाले गए केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों के कार्मिक अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजे के योग्य है। दर निम्नवत है :–

i)	100 प्रतिशत विकलांगता	9 लाख
ii)	100 प्रतिशत से कम विकलांगता	अनुग्रहपूर्वक राशि विकलांगता की स्थिति के अनुपात से कम हो जाएगी

(सन्दर्भ : पत्र संख्या ई–41022/अनुग्रहराशि/कल्याण/2016/1855 दिनांक 06.09.2016 और (क) डीओपी एवं पी डब्लू का. ज्ञा. संख्या 38/37/2016-पीएण्डपीडब्ल्यू (क) दिनांक 04.08.2016 (ख) एमएचए (आरएण्डब्ल्यू) का. ज्ञा. दिनांक 21.04.2011.

3. **<u>कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड :–</u>**

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिकों के लिए एक समर्पित कल्याण संगठन बनाने की आवश्यकता हेतु गृह मंत्रालय का ध्यान दिलाया गया और कल्याण एवं पूनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी) स्थापित करने का निर्णय लिया गया था जिससे चिकित्सीय रूप से बाहर किए गए पूर्व केन्द्रीय सशस्त्र

पुलिस बलों और कार्य करते हुए मारे गए कार्मिकों की विधवाओं/आश्रितों की देखभाल की जा सके। कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड द्वारा निम्नलिखित मुख्यतः गतिविधियां की जा रही हैः–

(क) सेवानिवृत्त कार्मिकों और मारे गए बल कार्मिकों के निकटतम संबंधियों के सशक्तिकरण हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण का बन्दोबस्त करना।

(ख) मदर डेयरी सफल बूथों का आबंटन ।

(स) सेवानिवृत्त कार्मिकों और मारे गए बल कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को भी स्वरोजगार तथा वैकल्पिक रोजगार में (परामर्श/आंतरिक/व्यावसायिक) प्रदान करना।

4. **'अनुभव' (प्रधानमंत्री कार्यालय की पहल) :–**

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने "अनुभव" नामक एक ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है जिसमें सेवा के दौरान किए गए प्रशंसनीय कार्य को दिखाने हेतु सेवानिवृत्ति केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करेगा और सेवारत कर्मचारियों के लिए भी प्रेरक का काम करेगा। "अनुभव" की प्रस्तुति स्वैच्छिक है। तथापि, कार्मिक की सेवानिवृत्ति के समय संबधित इकाई भरे हुए "अनुभव फॉर्म" पोर्टल पर अपलोड करेगी।

(सन्दर्भ : पत्र संख्या ई–41022/अनुभव/कल्याण/2015/383 दिनांक 23.4.2015)

5. **केन्द्रीय पुलिस केन्टीन :–**

सेवारत और सेवानिवृत बल कार्मिकों को दैनिक प्रयोग की मदों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, 19 केन्द्रीय पुलिस मास्टर केन्टीन तथा 180 सहायक कैन्टीन केऔसुब इकाईयों में खोली गई हैं।

6. **प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना (पीएमएसएस)** :–

i) पहली व्यावसायिक डिग्री/कार्यक्रम करने के लिए 102/डिप्लोमा/स्नातक या समकक्ष में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले, लड़ाई में मारे गए कार्मिकों (सभी रैंक) के बच्चे/विधवाएं और सेवानिवृत्त एवं सेवारत केऔसुब कार्मिकों (अधिकारी पद से नीचे) के बच्चे/विधवाएं प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति के लिए पात्र है।

ii) लड़कियों के लिए 27,000/– रूपये और लड़कों के लिए 24,000/– रूपये ।

7. **एमबीबीएस /बीडीएस में कोटा** :–

लड़ाई में मारे गए कार्मिकों, सेवानिवृत और सेवारत केऔसुब कार्मिकों के बच्चों को गृह मंत्रालय द्वारा सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आरक्षित सीटों में से 15 एमबीबीएस तथा 02 बीडीएस की सीटों में कोटा ले सकते है।

8. **केन्द्रीय कल्याण निधि** :–

(क) गंभीर चोट अथवा लम्बे समय से चल रही स्वयं या परिवार की बीमारी अथवा किडनी प्रत्यारोपण, बाईपास सर्जरी, कैंसर, ब्रेन हेमरेज, एड्स, शरीर के किसी अंग में लकवा अथवा विच्छेदन अथवा अन्य किसी गंभीर बीमारी के मामले में प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर, स्वीकृत न हुए चिकित्सा खर्चो के 10 प्रतिशत के समकक्ष एकमुश्त अनुदान के रूप में अधिकतम 50,000/– रूपये दिए जाते है। (संदर्भ– कल्याण निधि नियमावली पैरा –4 (क) (ii) अपेंडिक्स ऐ – 2)

(ख) ड्यूटी करने के दौरान चोटिल बल कार्मिक को 10,000/– रूपये की राशि दी जाती है (संदर्भ– कल्याण निधि नियमावली पैरा–4(क) (iv) अपेंडिक्स ऐ–4)

(ग) मृतक बल कार्मिक के अंतिम संस्कार इत्यादि के लिए निकटतम संबंधी को 25,000/– रूपये की अनुग्रहपूर्वक राशि दी जाती है (संदर्भ–ओ ओ संख्या ई–41014/एजीबीएम/कल्याण/2015–642 दिनांक 26.08.2015 एवं कल्याण निधि नियमावली पैरा –4 (क) (i) एवं अपेंडिक्स – क के क. सं. 1)

(घ) सेवानिवृत्त केऔसुब कार्मिक को मुख्य बीमारी अर्थात कैंसर, टयूमर, गुर्दे की बीमारी, लीवर, दिल की बीमारी, किडनी प्रत्यारोपण इत्यादि के लिए स्वयं या जीवनसाथी को जीवनकाल में एक बार 50,000/– रूपये दिए जाते है (संदर्भ– कल्याण निधि नियमावली पैरा – 4 (क) (iii) एवं अपेंडिक्स –क के क. सं. 3)

(ड़) बल कार्मिक को सेवानिवृत्त के समय पर 2,500/– रूपये की राशि के उपहार और 750/– रूपये मोमेंटो के लिए प्रदान किए जाते हैं । (संदर्भ– कल्याण निधि नियमावली पैरा –4 (क) (v) एवं अपेंडिक्स –क के क. सं. 5)

(च) कल्याण निधि से विवाह, उच्च शिक्षा, कम्पयूटर खरीदने, प्लॉट, खरीदने, चिकित्सा उपचार इत्यादि के लिए ब्याज की नाम मात्र दरों पर ऋण प्रदान किए जा रहे है (संदर्भ– कल्याण निधि नियमावली पैरा – 4 (ख) (i to x) एवं अपेंडिक्स – क के क. सं. 8–17)

9. **<u>बच्चों के लिए कल्याणकारी उपाय :–</u>**

(क) **<u>शिक्षा एवं खेलों में महानिदेशक योग्यता पुरस्कार (मेरिट अवार्ड)</u>**

सेवारततथा सेवाकाल में मारे गए कार्मिकों के बच्चे शिक्षा (10+2) एवं खेलो में महानिदेशक योग्यता पुरस्कार पाने के हकदार है।

(i) शिक्षा :–

क) 95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर लड़कियों को 27,000/– रूपये तथा लड़कों को 25,000/–रूपये ।

ख) 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत के बीच के अंक प्राप्त करने पर लड़कियों को 23,000/– रूपये तथा लड़कों को 20,000/– रूपये ।

(ii) खेल :–
लड़कियों के लिए 27,000/– रूपये तथा लड़को के लिए 25,000/– रूपये ।
(संदर्भ पत्र सं. ई–41022/छात्रवृत्ति/कल्याण/2015/671 दिनांक 11.09.2015 एवं दिनांक 15.07.2016 के पत्र सम संख्या 630)

(ख) **दिव्यांग बच्चों के लिए महानिदेशक वित्तीय सहायता**

दिव्यांग बच्चों को जब तक या तो अभिभावक सेवा में है तब तक अथवा जब तक बच्चा जीवित है, तब तक 5,000/– रूपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है।

10. जोखिम बचत निधि (R.S. FUND)

सेवाकाल में मृतक कार्मिक और अपंगता के कारण सेवा से चिकित्सीय रूप से निकाले गए कार्मिकों के परिवारों को जोखिम निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम निम्नानुसार है :–

(क) मौत/गुमशुदगी तथा जो 100 प्रतिशत अपंगता के साथ सेवा से निकाले जाने के मामले में

(i)	बल के सदस्य की मृत्यु पर एकमुश्त अनुदान	7 लाख रूप्ये (5 लाख रूपये नजदीकी संबंधी को तथा 2 लाख रूपये अभिभावक/नजदीकी संबंधी को)
(ii)	कार्रवाई में मारे गए को	10 लाख रूपये (7 लाख रूपये नजदीकी संबंधी को तथा 3 लाख रूपये माता–पिता को)

(iii)	गुमशुदा कार्मिक को	5 लाख रूपये चार बराबर किस्तों में, गुमशुदगी की तिथी से 3 वर्ष के बाद से शुरू)
(iv)	अपंगता	81% और उससे ऊपर अपंगता – 5 लाख रूपये 51% से 80% अपंगता – 3.25 लाख रूपये 50% से तक अपंगता – 2 लाख रूपये

<u>(ख) सेवा निवृत्त /सेवा से बर्खास्त/निकाले/हटाए गए कार्मिक को अंशदान के बचत की वापसी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ की जाती है।</u>

(संदर्भ–पत्र सं. ई–41014/एजीबीएम/कल्याण/2015/642 दिनांक 26.08.2016 एवं आर.एस निधि नियमावली पैरा – 6)

11. <u>संरक्षिका</u>

केऔसुब कार्मिकों की पत्नियों का कल्याणकारी संगठन 'संरक्षिका' केऔसुब कार्मिकों के बच्चों को उनकी प्रतिभा दिखाने में, कार्मिकों की पत्नियों में गर्व की भावना पैदा करने के लिए मंच प्रदान करता है और केऔसुब कार्मिकों को उनकी तनाव रहित ड्यूटी के निर्वहन में सहायता करने के साथ–साथ संरक्षिका द्वारा प्रदत सहायता प्रणाली द्वारा उनके परिवारों की भली–भांति देखभाल की जा रही है।

12. <u>बारात घर /बैंड</u>

केऔसुब कार्मिक केऔसुब उत्तरी सेक्टर, मुख्यालय साकेत नई दिल्ली से सम्पर्क करके साकेत नई दिल्ली और गाजियाबाद में 'केऔसुब बारात घर' और गाजियाबाद में 'केऔसुब बैंड' की सेवाएं उचित दरों पर ले सकते हैं।

13. <u>ट्रांजिट कैम्प</u>

केऔसुब कार्मिकों और उनके परिवारों द्वारा स्थानान्तरण/छुट्यिों अथवा व्यक्तिगत कार्य के दौरान देशभर में केऔसुब यूनिटों द्वारा मेंटेन किए जा रहे 'ट्रांजिट कैम्पों' का इस्तेमाल किया जा सकता है ।

14. **<u>केन्द्रीय सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए निर्धारित ट्रेन</u>**

केन्द्रीय सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए ट्रेन सं. 16031/32, चैन्नई–जम्मूतवी 16687/88 मंगलोर–जम्मूतवी और 13151/52 कोलकाता– जम्मूतवी एक्सप्रेस तथा ट्रेन संख्या 15909/10 अवध असम एक्सप्रेस में सीटें निर्धारित की गई है।

15. **<u>चिकित्यीय सहायता</u>** :–

केऔसुब दिल्ली स्थित अस्पतालों जैसे एम्स आदि में इलाज के लिए आने वाले अपने कार्मिकों को सहायता प्रदान करता है। कार्मिक इस कार्य के लिए कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं।